

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 1978/अग्रहायण 22, 1900
No. 357] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 13, 1978/AGRAHAYANA 22, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1978

सा. का. नि. 577 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों
और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
राष्ट्रपति दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियम, 1971 में
आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का नाम दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
पुलिस सेवा (वैधा संशोधन) नियम, 1978 होगा।
(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियम, 1971
में—

(क) नियम 3 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(3) ग्रेड-1 के पद, केन्द्रीय पुलिस ग्रुप (ए) के पद होंगे और ग्रेड-2 के पद, केन्द्रीय पुलिस ग्रुप बी के पद होंगे।”

(ख) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“7 परीक्षा का स्वरूप—जब तक कि केन्द्रीय सरकार आयोग के परामर्श से अन्यथा निर्णय न करे, तब तक इस सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बही रहेगी जो इस सेवा में भर्ती के लिए तथा ऐसी ही किसी अन्य सेवा अथवा सेवाओं में भर्ती के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएं, आयोग द्वारा संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में ली जाती है।”

[सं. 14012/14/78-यू टी एस]

पी. वी. जयकृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 1978

G.S.R. 577(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service (Fourth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971—

(a) for sub-rule (3) of rule 3 the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) The posts in Grade I shall be Central Police Group A posts and those in Grade II shall be Central Police Group B posts.”;

(b) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

“7. Nature of Examination.—Until otherwise decided by the Central Government in consultation with the Commission, the competitive examination for recruitment to the Service shall be the same as the combined Civil Services Competitive Examination held by the Commission for recruitment to the Service and such other service or services as may be specified by the Central Government from time to time.”.

[No. 14012/14/78-UTS]

P. V. JAIKRISHNAN, Dy. Secy.